तुलसी पुत्र सरपंच ग्रा.पं. (सरवाली) व अन्य
अपील नं. 6/14 A/4

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.7.15	आज पत्रावली राजस्थान लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प मालोला कलां तहसील नगर में प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी:- 1 तुलसी पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर नि. खेड़ली गुर्जर तह. नगर जिला भरतपुर बनाम रेस्पोंडेन्ट:- 1. सरपंच ग्रा.पं. सरवाली पं.स. नगर 2. भगवान सिंह 3. रमेशचन्द 4. महेश 5. प्रकाश 6. हरदेई पत्नी तुलसी जाति गुर्जर नि. सरवाली तह. नगर 7. जीतू 8 पवन 9. कृष्णा 10 रामवती 11. सरोज पिसरान किशनराम जाति ब्राह्मण नि. सरवाली तह. नगर के विरुद्ध नामान्तरण सं. 1359 दिनांक दिनांक 5.7.08 द्वारा ग्राम पंचायत सरवाली से तस्दीक हो कर अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट। इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपी. की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. $\frac{1331}{0.73}$ वाके ग्राम सरवाली का रेस्पो. नं. 1 के द्वारा अपील तुलसी पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर नि. खेड़ली गुर्जर के बिना नोटिस दिये हुए पता नहीं किसके कहने पर के नाम शामिल खातेदार दर्ज किया अपील क्योंकि यह अपने गांव खेड़ली गुर्जर में रहता है। रा.रि. में चढ़े अनुसार जानकारी की तो इस नाम से तुलसी पुत्र गिर्राज जाति ब्राह्मण निवासी सरवाली के नाम निकला और उसके स्थान पर खातेदार का नाम रा.रि. में दर्ज किया है जो नियम विरुद्ध है, गैर कानूनी है जो निरस्तनीय है। विद्वान ... रा.रि. पेश करने को कहा। रेस्पो. नं. 2 लगायत 11 के बिना नोटिस दिये जाते हैं या नहीं, तथा रिकार्ड में दर्ज तुलसी पुत्र गिर्राज जाति है जो जीवित है या फौत हो गया है को देखना जांच किये बिना विरुद्ध प्रस्तुत किया है। अपी. को उक्त खा.नं. 1331 की जानकारी दिनांक 9.9.14 को हुई। जिसकी जानकारी होने के एक माह के अन्दर अपील अपीलार्थी पेश है विलम्ब को अवधि समायोजन हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अपील अपीलार्थी [illegible] रेस्पोन्डेन्टस एवं इन्द्राज नामा. [illegible] गया। आज लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान ने उपस्थित होकर [illegible] लगातार -	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार हुक्म की तामील में
	राजीनामा प्रस्तुत किया है कि – " विवादित नामा० सं० 1359 निर्णय दिनांक 5.7.08 द्वारा सरपंच ग्रा० पं० खरवालली नाजायज विवादित ख० नं. $\frac{1331}{0.73}$ वाके ग्राम खरवालली रेस्पो० 2 मिला/लाखा मुल्ली पुत्र भेरजी जाति कालबेलिया नि० खरवालली के कब्जे काश्त की भूमि नहीं है। उक्त आराजी मुल्ली पुत्र भेरजी जाति गुर्जर निवासी खेडली गुजरान के कब्जे काश्त की है तथा मुल्ली पुत्र स्वयं जीवित है तथा भूमि पर काबिज है। रेस्पो० 2 मिला/लाखा मुल्ली पुत्र भेरजी कालबेलिया की विरासत का नामा० सं० 1359 गलत दर्ज हुआ है जिसे निरस्त किये जाने में रेस्पो० को कोई आपत्ति नहीं है।" यह राजीनामा [illegible] के अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पटवारी हल्का खरवालली से विवादित नामा० सं० 1359 ग्राम खरवालली की प्रति पत्र तलब कर अवलोकन किया, जिससे साबित होता है कि तत्कालीन पटवारी द्वारा दिनांक 01.5.08 को ख० नं. $\frac{1331}{0.73}$ वाके ग्राम खरवालली को गलत 'मुल्ली पुत्र भेरजी' [illegible] PLDBC तथा मृतक श्री फोली मुल्ली s/o भेरजी के वारिसान रेस्पो० सं० 2 लगा० 11 के नाम दर्ज कर I.L.R को नामे जांच प्रस्तुत किया है जिस दि० 28.5.08 को ILR ने टिप्पणी अंकित की है कि – " वारिसान का सजरा अंकन किया जावे. मिलान किया अंकन सही है।" इसके पश्चात सरपंच ग्रा० पं० खरवालली ने दिनांक 5.7.08 को अपने निर्णय में अंकित किया है कि – " आज दिनांक 5.7.08 को यह ग्रा० पंचायत कोरम के समक्ष पेश हुआ नामांतरण (9-13) [illegible]।" इससे यह स्पष्ट होता है कि [illegible] ग्राम पं० खरवालली द्वारा 3 [illegible] पंचायत की [illegible] जांच नहीं की कि नामा० मृतक मुल्ली [illegible] भेरजी कालबेलिया की विरासत का दर्ज है, जबकि दरअसल –	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मुल्जी 45 सरपंच ग्रा.पं. लखनपुरी वं.व.6
अपील नं 6/14

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज A/5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नं. 9 में खातेदान की जगह मुर्दा इंद्राज की गई है। सम्बन्धित पटवारी एवं भू.अभि. निरीक्षक ने भी रिकार्ड की बिना जाँच किये तथा मृतक का सजरा इंद्राज किये बिना ही नामा. दर्ज कर जांच कर दी है जिससे उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है। पक्षकारान ने भी राजीनामा प्रस्तुत कर मुल्जी पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर नि. खेड़ली गूजर जो खसरा नं. 133/0.73 वाली खातेदारी का खातेदार है तथा जीवित है तथा मौके पर काबिज है। इस प्रकार उक्त नामा. गलत प्रक्रिया मृतक गिर्राज पुत्र मुल्जी ब्राह्मण के खातेदान के नाम दर्ज किया गया है अतः निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आदेश है कि —

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा नामा. नं. 1359 निर्णय दिनांक 5.7.08 निरस्त किया जाता है तथा ख.नं. 133/0.73 वाली खातेदारी पर पूर्व के इन्द्राज यथावत रखे जावें। नोटिस की प्रति तहसील कार्यालय नगर को पालना हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे।

(राजेश चंद खण्डेलवाल)
सदस्य बैंच

(हेमराज पारेडवाल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नगर [भरतपुर] राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner